

न्यायालय न्यायिक मजि० पुरवा उन्नाव।

UPUN120007172015



सरकार बनाम रामलखन
मु०सं०—432 / 2015
अ०सं०—990 / 2013
धारा—60 आबकारी अधि०,
थाना — पुरवा, उन्नाव।
दिनांक—22.05.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर अभियुक्त रामलखन गैर हाजिर। अभियुक्त लगातार अनुपस्थित चल रहा है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा एन०बी०डब्लू० तथा धारा 82 दं०प्र०सं० की कार्यवाही की गयी है तथा अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० की कार्यवाही इस न्यायालय द्वारा की गयी है। अभियोजन की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त अवसर दिये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरुद्ध धारा 299 दं०प्र०सं० के साक्ष्य की कार्यवाही समाप्त की जाती है। तदनुसार पत्रावली अन्तर्गत धारा 299 दं०प्र०सं० के तहत निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त रामलखन के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं०—990 / 2013 अन्तर्गत धारा 60 आबकारी अधि०, थाना पुरवा, जिला उन्नाव में स्थायी रूप से गैर जमानतीय वारंट जारी हो तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस आशय का पत्र प्रेषित किया जाये कि जब भी कभी अभियुक्त उपस्थित हो, तो इस न्यायालय में विधिक कार्यवाही हेतु अभियुक्त को प्रस्तुत किया जायेगा। पत्रावली धारा 299 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत इस निर्देश के साथ दाखिल दफ्तर की जाती है कि जब भी कभी अभियुक्त की उपस्थिति सुनिश्चित होगी तो अभिलेखागार से पत्रावली तलब कर कार्यवाही की जायेगी। अभिलेखागार को निर्देशित किया जाता है कि यह पत्रावली बिडआऊट नहीं होगी। कार्यालय अनुपालन सुनिश्चित करे।

न्यायिक मजिस्ट्रेट,
पुरवा उन्नाव।